समक्ष,

....

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती ...., पिता/पति श्री .... पता/ग्राम+पो0, ... थाना..................................जिला.. का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :—

1. यह कि मैं वाहन संख्या .... का मालिक हूँ।

2. यह कि वाहन परमिट से आवृत्त है अथवा वाहन परमिट से आवृत्त नहीं है। (जो लागू हो स्पष्ट लिखें)।

3. यह कि मेरे वाहन का परिचालन बैनर (बैनर का नाम)..के अंतर्गत किया जाता है।

4. यह कि मेरे बैनर (बैनर का नाम) .... के अंतर्गत निम्नांकित वाहनों का परिचालन किया जाता है।

क्र0सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या
1		

5. यह कि इसके अतिरिक्त कोई भी वाहन मेरे बैनर (बैनर का नाम).. के अंतर्गत परिचालन नहीं किया जाता है। यदि किसी अन्य वाहन को भविष्य में परिचालन हेतु बैनर (बैनर का नाम) .... के अन्तराल शामिल किया जाता है तो इसकी सूचना प्राधिकार को अविलम्ब दूँगा।

6. यह कि मैं वाहन के दोनों तरफ परमिट की संख्या एवं वैधता की तिथि अंकित करना सुनिश्चित करूँगा।

7. यह कि वाहन सीटर है अथवा स्लीपर है अथवा दोनो है। (जो लागू हो उसे लिखें).......................................

8. यह कि वाहन की परमिट प्राप्त करने के पश्चात उसकी आन्तरिक संरचना में मेरे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

9. यह कि परमिट हेतु आवेदन करते समय आवेदित वाहन के अन्दर, बाहर के चारो तरफ (आगे, पीछे, दोनों साईड) का वाहन स्वामी के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ, जिससे वाहन की निबंधन संख्या, वाहन सीटर/स्लीपर है, का पता चल सके मोटरयान निरीक्षक से सत्यापन के साथ वाहन की अद्यतन मान्य कागजात यथा—टैक्स, फिटनेश, बीमा एवं प्रदूषण संलग्न है।

10. यह कि परमिट हेतु आवेदित वाहन के प्रकाशित समय—सारणी में वाहन की आयु के अनुसार गति सीमा एवं दूरी का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। गति सीमा की उल्लंघन होने पर परमिट रद्द करते हुए मेरे विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जा सकेगी जो मुझे मान्य होगा।

11. यह कि अधिकृत एजेन्ट से वाहन का टिकट बुकिंग सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।

12. यह कि किसी अनाधिकृत एजेन्ट अथवा व्यक्ति का उपयोग टिकट बुकिंग कराने में नही किया जायेगा।

13. यह कि मान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक एवं संवाहक का उपयोग वाहन परिचालन में किया जाएगा।

14. यह कि मेरे या मेरे परिवार में किसी सदस्य के नाम से निबंधित कोई भी वाहन कर–प्रमादी (tax defaulter) नहीं है।

15. यह कि उक्त वाहन से किसी भी प्रकार के व्यवसायिक माल की ढुलाई नहीं की जाएगी एवं परमिट की किसी भी शर्त्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

16. यह कि परमिट निर्गमन हेतु निर्धारित शर्त्तों में से किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करने अथवा शपथ पत्र में मेरे द्वारा घोषित बातों के असत्य पाये जाने पर मेरे परमिट को रद्द किया जा सकेगा एवं मेरे विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी, जो मुझे मान्य होगा।

17. यह कि मार्ग की दूरी 250 कि0मी0 से अधिक होने पर दो चालक का उपयोग करूँगा।

18. यह कि मेरे द्वारा परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित वाहन संख्या–.................................. पर पूर्व से राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ...द्वारा अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग संख्या– .... पर परमिट संख्या–.. निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक–...................... से ....तक है।

19. यह कि मेरे द्वारा इस बात की सहमति प्रदान की जाती है कि परमिट की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार .... के समक्ष दिनांक......................... को समर्पित आवेदन में अंकित वाहन के पक्ष में परमिट की स्वीकृति के उपरान्त मेरे उक्त वाहन के पक्ष में निर्गत पूर्व परमिट स्वतः प्रत्यर्पित मानते हुये मेरे इस शपथ पत्र को हीं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–86 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत परमिट निर्गत करने वाले मूल प्राधिकार के समक्ष समर्पित परमिट प्रत्यर्पण संबंधी आवेदन माना जाय।

20. यह कि वाहन से संबंधित सभी समर्पित कागजात सही एवं तथ्यात्मक है।

21. यह कि परमिट प्राप्त करने के पूर्व, पूर्व में निर्गत परमिट की मूल प्रति मैं कार्यालय में प्रत्यार्पित कर दूँगा।

22. यह कि शपथ पत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य एव तथ्य पर आधारित है एवं उपर लिखी हुयी सभी तथ्यों पर मेरी पूर्ण सहमति है एवं परमिट संबंधी आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी की पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी।

आवेदक (शपथकर्त्ता) का हस्ताक्षर

आवेदक का मोबाईल नम्बर :–

शपथकर्त्ता नें मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया है।

अधिवक्ता